

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

आय-कर

का.आ. 1060(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसी देशी कंपनी को, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के विनियम 2 के खंड (ढ) में जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में निर्दिष्ट है, जोखिम पूंजी उपक्रम के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

(2) यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2004 को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 249/2004/फा. सं. 142/27/2004-टीपीएल]

एस. के. चौधरी, निदेशक